न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 39/2019 (2019/00137)

अपीलान्ट

1. मिरगो देवी पुत्री स्व0 रतनाराम
2. सुखी देवी पुत्री स्व0 रतनाराम

जातियान् जाट, निवासीगण ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. भोजाराम पुत्र स्व0 रतनाराम
2. करनाराम पुत्र स्व0 रतनाराम
3. पेपो पत्नी स्व0 रतनाराम

जातियान् जाट, निवासीगण ढांढणिया सांसण, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम जालम नगर जो उपतहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 16.01.2008 को स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री लाघूराम पूनिया (अपीलार्थीपक्ष)
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 06.02.2023

अपीलार्थीपक्ष ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम जालम नगर जो उपतहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 16.01.2008 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीपक्ष तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 क्रमशः स्व0 रतनाराम पुत्र रामाराम के पुत्री, पुत्र व धर्मपत्नी है। स्व0 रतनाराम का देहान्त वर्ष 2007 में हो गया। ग्राम जालमनगर के खसरा संख्या 154 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 169 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 168/1 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जो मृतक रतनाराम की काश्तदारी की है। रतनाराम के देहान्त के समय अपीलार्थीपक्ष भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में मौजूद थे परन्तु उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Madanlal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बालेसर तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार रतनाराम के वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के पुत्रों व धर्मपत्नी के नाम स्वीकृत कर दिया तथा अपीलार्थीपक्ष का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह गया, आलौच्य नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलार्थीपक्ष द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार बालेसर से प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 24.01.2023 को सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीपक्ष को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने हेतु जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता हुई तब दिनांक 01.03.2019 को अपीलार्थीनीगण ने पटवारी हल्का ढांढणिया सासण से जमाबन्दी की नकल मांगी। पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि में आपके पिता के देहान्त के बाद दर्ज नामान्तरकरण में केवल आपके भाईयों व माता का नाम दर्ज किया है, आपका नाम दर्ज नहीं किया है। प्रार्थीया को अपीलाधीन नामान्तरणकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.03.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की। बहस के समर्थन में RRT 2002 (1) PAGE NO. 257 न्यायिक निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अपीलार्थीपक्ष के विद्धान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीपक्ष के पिता के फौत होने पर विरासत के अधिकार अपीलार्थीपक्ष व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 को प्राप्त हुए लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार बालेसर तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार रतनाराम के सभी विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीपक्ष्ज्ञ को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के पुत्रों व धर्मपत्नी के नाम पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

हमने अपीलार्थी अभिभाषक की बहस [illegible] किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन [illegible] से पूर्व प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:28 IST
Reason: SelfAttested

धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रथमदृष्ट्या यह निर्विवादित है कि अपीलार्थीपक्ष स्व0 रतनाराम की जायन्दा पुत्रियाँ है तथा विवादित भूमि में इनके हित प्रभावित होते है। प्रार्थीपक्ष के पास न्यायोचित कारण होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि रतनाराम के फौत हो जाने पर रतनाराम के पुत्रों व धर्मपत्नी के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण 33 ग्राम जालमनगर दिनांक 16.01.2008 को उप तहसीलदार, बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थीनी मिरगोदेवी व सुखी देवी जो मृतक रतनाराम की जायन्दा पुत्रियाँ है उनका नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थीपक्ष हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मृतक रतनाराम पुत्र रामाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा स्व0 रतनाराम की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी भी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 33 गांव जालमनगर जो दिनांक 16.01.2008 को उप तहसीलदार, बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर को निर्देश दिये जाते है कि मृतक रतनाराम के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही कर निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:28 IST
Reason: SelfAttested